राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.6(15)नविवि/3/87/पार्ट जयपुर, दिनांक 30.09.2014

आदेश

विषयः– जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र के विकास एवं भूमि के आवंटन के संबंध में आवंटन दर एवं विकास शुल्क की राशि के सम्बन्ध में।

1. जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना के विकास एवं भूमि आवंटन के संबंध में विभाग द्वारा क्रमांक प.6(15)नविवि/3/87/पार्ट दिनांक 20.09.13 प्रसारित किया गया था। योजना क्षेत्र के विकास शुल्क निर्धारण हेतु ज्ञापन क्रमांक प.6(15)नविवि/3/87पार्ट दिनांक 25.08.14 मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मंत्रिमण्डल द्वारा उक्त ज्ञापन पर विचार विमर्श कर मंत्रिपरिषद की आज्ञा क्रमांक 125/2014 जारी की गयी, जिसके अनुक्रम में तथा विभागीय आदेश दिनांक 20.09.13 की निरन्तरता में योजना क्षेत्र की आवासीय, व्यावसायिक एवं संस्थानिक प्रयोजनार्थ आवंटन दरें व अन्य शर्ते अब निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित की जाती हैः–

TABLE A

क्र.सं.	भूखण्ड क्षेत्रफल	आवंटन दरें प्रति वर्गगज (रूपयों में)		
	वर्गगज	(आवासीय)	संस्थानिक	व्यावसायिक
1.	100 वर्गगज तक	250/–रूपये	400/– रूपये	750/– रूपये
2.	101 वर्गगज से 300 वर्गगज तक	400/–रूपये	600/–रूपये	1200/–रूपये
3.	301 वर्गगज से 1000 वर्गगज तक	600/–रूपये	750/–रूपये	1500/–रूपये
4.	ग्रुप हाउसिंग/फलेटस आदि 5000 वर्गगज एवं उससे अधिक के एकल पटटा	400/–रूपये	–	–
5.	1000 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल पर 75 प्रतिशत भूमि का हिस्सा प्राप्त किया जाकर मुआवजे केरूप में 25 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जावेगी।			

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1 से 4 के भूखण्डों पर उक्त आवंटन दरों पर एक मुश्त लीज रेंट एवं रूपये 550/– प्रति वर्गगज का विकास शुल्क एवं देय अन्य शुल्क पृथक से लागू होगें।

नोटः—

(i) उदाहरणार्थ आवासीय भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गगज है की राशि निम्नानुसार देय होगी :—

प्रथम — 100 वर्ग गज तक	रु 250/— प्रति वर्गगज
अतिरिक्त 101 से 300 वर्गगज तक	रु 400/— प्रति वर्गगज
अतिरिक्त 301 से 1000 वर्गगज तक	रु 600/— प्रति वर्गगज
1000 वर्गगज से अधिक 200 वर्गगज के क्षेत्रफल हेतु	भूमि का 75% हिस्सा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जाकर 25% विकसित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

इसी प्रकार तालिका में दी गयी व्यावसायिक एवं संस्थानिक प्रयोजनार्थ दरों की गणना की जायेगी।

(ii) यदि किसी एक भू—खण्डधारी के पास 1000 वर्गगज से अधिक भूमि है तो प्रथम 1000 वर्ग गज भूमि को उपरोक्त तालिका के अनुसार आवंटित किया जावेगा तथा 1000 से अधिक भूमि का 75% हिस्सा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त किया जाकर मुआवजे के रुप मे 25% विकसित भूमि आवंटित की जावेगी।

2. पृथ्वीराज नगर योजना के विकास एवं भूमि आवंटन के संबंध में भूमि आवंटन प्रक्रिया सुचारू रूप से किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर पर आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में मंत्रिपरिषद की आज्ञा क्रमांक 146/2014 दिनांक 26.09.14 के अनुसार विभागीय आदेश दिनांक 20.09.13 में निम्न आदेश एवं निर्देश प्रतिस्थापित/संशोधित किये जाते हैः—

(i) पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा सृजित योजनाओं का रिकार्ड गृह निर्माण सहकारी समितियों/विकास समितियों के माध्यम से जमा कराने की अंतिम तिथि 30.11.2014 तक बढायी जाती है।

(ii) पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र के संबंध में जारी विभागीय आदेश दिनांक 20.09.2013 के बिन्दू संख्या 6(vi) 1 में उल्लेखित प्रावधान "पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में सेक्टर रोड़ नेटवर्क प्लान में निर्धारित 80 फीट एवं अधिक की चौड़ाई की सड़को के सहारे—सहारे दोनों और भू—पटटी रखी जावेगी, जिसका भू—उपयोग "मिश्रित भू उपयोग" रहेगा को विलोपित किया जाता है।